

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.ipr@gov.in (केंद्र कंट्रोल यूनिट) **Telefax: 0141-2385813**

फा.सं. II-31(15)सीसीयू / JPR / 2008 / 88

दिनांक: 03.01.2023

ज्ञापन

श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत (जन्म तिथि-12.07.2000) पुत्र स्व. श्री सायर सिंह को पे मैट्रिक्स लेवल-1 रु.18000-56900/- पी.बी.-1 एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में अनुकम्पा के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (एम.टी.एस. ग्रुप 'स') के पद पर अनुकम्पा के आधार पर अस्थाई नियुक्ति का प्रस्ताव नियुक्ति आदेश संख्या Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ MULTI TASKING STAFF/75380 दिनांक 03.01.2023 के तहत दिया जाता है।

2. उन्हें यह अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव अनुकम्पा के आधार पर इस शर्त पर प्रदान किया जा रहा है कि उन्हें अपने परिवार के अन्य सदस्यों जो कि मृतक कर्मचारी स्व. श्री सायर सिंह पर निर्भर रहते थे, की उचित देखभाल करनी होगी। यदि भविष्य में कभी भी यह साबित हो जाता है कि वे परिवार के अन्य सदस्यों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उनकी सेवाएँ (नियुक्ति) समाप्त कर दी जायेगी। उन्हें उक्त आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

3. उपरोक्त अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव डी.ओ.पी.टी. के O.M. No. 18011/2(s)/2016-Estt. (B)(i) दिनांक 29.06.2016 जो कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फा.सं. A-12034/SSC/11/2016-Ad.IIIB दिनांक 13.05.2019 के द्वारा अग्रेषित किया गया है के अनुसार प्रोविजनल बेसिस पर इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उपरोक्त ज्ञापन बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

4. उनका एम.टी.एस. पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।

5. उनकी एम.टी.एस. श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

6. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी पदस्थापना/स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।

7. यदि वे संलग्न एनक्जर- 'अ' व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हैं तो दिनांक **31.01.2023** या इससे पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता को एम.टी.एस के पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें ऐसा न

करनें पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्याभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न: एनक्जर- अ

— इस्तीफा —

(मुकेश कटारिया)

अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)

Regd. AD

Shri Devendra Singh Shekhawat
S/o Late Sayar Singh
Ward No. 4, Aam Chowk,
Vill Dadia Rampura, Via Ringus
District – Sikar, Rajasthan-332404.

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. The Under Secretary (Ad.III.B), Central Board of Excise & Customs, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 with reference to letter F. No. A-12012/3/2022-Ad-IIIB Section CBEC dated 25.11.2022.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. निजी पत्रावली/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
6. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

03/01/23

(मुकेश कटारिया)

अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)